न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 238/2019

GCMS NO. 2019/01098

लक्ष्मीनारायण पुत्र हरदयाल उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..................वादी

– ब ना म –

1. भूपसिंह पुत्र हरदयाल उम्र 45 साल
2. सत्यवीर पुत्र हरदयाल उम्र 50 साल
3. बाबुलाल पुत्र मनभर उम्र 48 साल
समस्त जाति अहीर निवासीगण जयसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

.... प्रतिवादीगण

दावा – खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री संदीप कुमार यादव	अभिभाषक	वादी
2. श्री मनजीत सिंह	अभिभाषक	प्रतिवादी सं. 1 व 2

–: निर्णय :– **दिनांक :– 06.03.2025**

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 05.07.2023 को पारित कर तहसीलदार बुहाना को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वीकार कर वाके ग्राम **जयसिंहपुरा** पटवार हल्का सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 229/28 रकबा 0.29 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 231/68 रकबा 1.37 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 236/69 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 31 रकबा 1.24 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.24 हेक्टेयर में वादी व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 का कब्जे काश्त/रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार [illegible] को 1000/– रूपये के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता [illegible] कि [illegible]कारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से, मौके पर कब्जा काश्त तथा [illegible] मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों संबंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.1[illegible] को मध्य नजर रखते हुए रास्ता कायम कर विभाजन प्रस्ताव पक्ष[illegible]रान को पूर्व सूचना [illegible] तैयार कर यथाशीघ्र भिजवायें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हक में दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ. / वि.प्र. / 2024 / 2259 दिनांक 04.09.2024 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.09.2024 (मौका रिपोर्ट दिनांक 29.08.2024) का अधिवक्ता उभय पक्षकारान को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार बुहाना के द्वारा वादी के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव सही तैयार किया गया है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वादी का वाद अंतिम डिक्री कर दिया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार बुहाना के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव सही तैयार किया गया है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रतिदावा अंतिम डिक्री कर दिया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.09.2024 (मौका रिपोर्ट दिनांक 29.08.2024) का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया व प्रलेखीय दस्तावेजात का आद्योपान्त परीक्षण किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से पाया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव क्षेत्राधिकार के अनुसार राजस्व अधिकारी तहसीलदार बुहाना के द्वारा दिनांक 29.08.2024 को पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 08–11–2004 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप राजस्व अधिकारी तहसीलदार बुहाना द्वारा दिनांक 29.08.2024 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से 6' व 'ब') के अनुसार वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.09.2024 (मौका रिपोर्ट दिनांक 29.08.2024) (प्रदर्श–'अ–1 से 6' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव [illegible]) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक [illegible] भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

लक्ष्मीनारायण पुत्र हरदयाल उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..................वादी

– ब ना म –

1. भूपसिंह पुत्र हरदयाल उम्र 45 साल
2. सत्यवीर पुत्र हरदयाल उम्र 50 साल
3. बाबुलाल पुत्र मनभर उम्र 48 साल
   समस्त जाति अहीर निवासीगण जयसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– खाता विभाजन अन्तर्गत धारा, 53 आर.टी.एक्ट 1955

मुकदमा नम्बर :– 238 / 2019
GCMS NO. 2019/01098
निर्णय दिनांक :– 06.03.2025

वादी की ओर से **श्री संदीप कुमार यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से **श्री मनजीत सिंह एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **06.03.2025** को **सुमन देवी (RAS) उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.09.2024 (मौका रिपोर्ट दिनांक 29.08.2024) (प्रदर्श–'अ–1 से 6' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से 6' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रस्ताव के भूमि का सीमांकन करवायेंगे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **06.03.2025** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना